(5)

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 रिविजन सं0– 01/2018–19

करामत मियाँ एवं अन्य ..... आवेदक

बनाम्

मो0 नजरूल अंसारी .....विपक्षी

।। आदेश ।।

19/03/2021 यह रे0मि0 रिविजन वाद संख्या– 01/2018–19 करामत मियाँ एवं अन्य बनाम् मो0 नजरूल अंसारी दोनों मौजा बुचाआम, अंचल शिकारीपाड़ा के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के आर0ई0 वाद संख्या– 32/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 27.04.2017 के विरूद्ध में दायर किया गया है। जिसमें आवेदक को मौजा बुचाआम के दाग सं0 245 के रकवा 05 कठ्ठा जमींन से उच्छेद किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा बुचाआम के जमाबंदी सं0 13 के अन्तर्गत दाग सं0 245 कुल रकवा 01 बीघा 03 कठ्ठा जमींन गत गैंजर सेटेलमेंट में सहबू मियाँ के नाम से दर्ज है। उक्त दाग में अवेदकों को जमाबंदी रैयत के पुत्र मानु मियाँ द्वारा 23 माघ बंगला 1336 साल में कुरफा द्वारा पट्टा बन्दोबस्ती दिया गया है। तब से आवेदकगण उक्त जमींन पर मकान बनाकर बसोबास कर रहा है। आवेदकों के द्वारा उक्त जमींन के मुआवजा के रूप में जमाबन्दी रैयत को 1200/– रूपये भी भुगतान किया गया है किन्तु विपक्षी द्वारा निम्न न्यायालय में दायर आर.ई. वाद सं0 32/2011–12 में आवेदकों को

(6)

प्रश्नगत जमींन से उच्छेदित किया गया है। इसी आदेश के विरूद्ध में यह रिविजन वाद दायर किया गया है।

आवेदकों का कहना है कि प्रश्नगत जमींन में उनके द्वारा 10 कठ्ठा जमींन पर खपड़पोश मकान बनाया गया है और शेष जमींन पर बाड़ी के रूप में उपयोग किया जा रहा है। वाद में उसपर 13 कमरें का पक्का मकान सह शौचालय एवं स्नानागार आदि बनाकर सपरिवार निवास कर रहें है। उन्हें प्रश्नगत जमींन कुरफा बन्दोबस्ती में 23 माघ बंगला 1336 साल में जमाबन्दी रैयत के पुत्र द्वारा मिली है। उनके द्वारा कुरफा बन्दोबस्ती की पट्टा की छायाप्रति दाखिल किया गया है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि सं0प0 काश्तकारी अधिनियम 1949 के लागू होने के 12 वर्ष पूर्व से दखल जमींन एवं बनाया हुआ मकान से उच्छेद नहीं किया जा सकता है।

ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

निम्न न्यायालय के अभिलेख में अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख है कि आवेदकों को उक्त जमाबंदी सं0 13 के दाग सं0 245 रकवा 01 बीघा 03 कठ्ठा जमींन मानु मियाँ पिता सहबू मियाँ ने अपना परिवार के सहमति से पाँच आदमी के समक्ष बल्कू मियाँ पिता महाबली मियाँ सा0 बुचाआम को घर बनाने हेतु दान दिया है। इस जमींन के बदले में बल्कू मियाँ पिता स्व0 महाबली मियाँ ने मानू मियाँ पिता स्व0 सहबू मियाँ सा0 बुचाआम को 1200/-

(7)

रूपया दिया है। यह कागजात बंगला 23 माघ सन बंगला 1336 साल का है।

आवेदकगण करामत मियाँ वो इस्लाम मियाँ पिता अली मियाँ जमींन ग्रहिता बल्कू मियाँ का पोता है जबकि विपक्षी नजरूल अंसारी जमाबंदी रैयत सहबू मियाँ का परपोता है।

इस प्रकार उपलब्ध कागजातों एवं वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि आवेदकों के दादा को बंगला साल 23 माघ सन् 1336 में जमाबंदी रैयत के पुत्र से घर बनाने हेतु दान स्वरूप प्राप्त है जो सं0प0 काश्तकारी अधिनियम 1949 लागू होने के 12 वर्ष पूर्व से दखल में है तब से आवेदकगण उक्त जमींन पर घर बनाकर बसोबास करते आ रहें और आज भी उसी जमींन पर बने मकान में निवास कर रहें है। माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड रांची के WP(C) No.- 1752/2004 आदेश दिनांक 25.06.2010 जो 2010(4) AIR Jhar R 513 में प्रकाशित है, के अनुसार–

> Santhal Parganas Tenancy (Supplementary Provisions) Act (4 of 1949), S.42- Santhal Parganas Settlement Regulations (3 of 1872), S. 27- Transfer of Land- Prohibition on- Transferee may be evicted from such lands- But such exercise of powers under Section 27(3) of the Regulation- III of 1872 is restricted- And would not apply to a person who has remained in continuous cultivating possession of lands for 12 years and more- Two Bighas

(8)

of land was settled in favour of ancestors of petitioners by original recorded tenant by virtue of Kurfa Settlement- Petitioners claimed adverse possession- No definite finding has been recorded on issue as to whether petitioners had perfected their title over lands in question for more then 12 years- Order directing eviction of petitioners from land is liable to be set aside.

निम्न न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर गौर नहीं किया गया और आवेदकों को प्रश्नगत जमींन से उच्छेदित किया गया जो न्यायसंगत नहीं है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

24 ... 20/4/21

लेखापित एवं संशोधित।

19/3/2021

उपायुक्त
दुमका।

19/3/2021

उपायुक्त
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.08 13:04:33 +05:30
Location: 169.254.227.244